निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 फाल्गुन 1942 (श0)

(सं0 पटना 146) पटना, बृहस्पतिवार, 4 मार्च 2021

परिवहन विभाग

---

अधिसूचना
4 मार्च 2021

सं० 02/ई0 परिवहन–10/2020–1744/परि0—मोटरयान अधिनियम, 1988 सह–पठित मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 211 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम–58 के पष्चात एक उपनियम 58 (क) निम्न रूप से जोड़ा जाता हैः–

58 ¼d½ fuca/ku gsrq okafNr dkxtkr byDVªkfud Lo:i ¼fMthVyh½ esa lefiZr djuk&

¼i½ वाहन डीलर द्वारा मोटरवाहनों के बिक्रय के उपरान्त निबंधन से संबंधित सभी अभिलेख ‘Digital Sign Certificate (DSC)’ द्वारा हस्ताक्षरित करते हुए ऑनलाईन वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जायेगा।

¼ii½ क्रमांक (i) में संदर्भित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ‘Digital Sign Certificate (DSC)’ विहित प्रपत्र में निबंधन प्राधिकार को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके सत्यापन उपरान्त निबंधन प्राधिकार द्वारा वाहन विक्रेता को डिजीटल हस्ताक्षर हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।

¼iii½ अपलोड किये गये अभिलेखों को मूल रूप में निबंधन प्राधिकार को समर्पित किया जाना अनिवार्य नहीं होगा, परन्तु वाहन डीलर वाहन सबंधी इन मूल अभिलेखों को Soft एवं Hard प्रति में अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निबंधन प्राधिकार द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

¼iv½ वाहन डीलर द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर युक्त अभिलेखों को निबंधन प्राधिकार को उपलब्ध कराने एवं वाहन के पथकर/फीस इत्यादि का भुगतान ऑनलाईन करने के उपरान्त संबंधित निबंधन प्राधिकार द्वारा वाहन के निबंधन की स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी।

¼v½ यदि कोई वाहन विक्रेता किसी भी स्थिति में यदि अपना प्रतिष्ठान स्थायी रूप से बंद करता है तो उनके पास जमा निबंधन से संबंधित सभी मूल अभिलेखों को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

2- यह अधिसूचना इसके बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से 01 माह के पश्चात प्रभावी होगा।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
lat; dqekj vxzoky]
ljdkj ds lfpoA

*The 4th March 2021*

**No. 02/e–Parivahan–10/2020-1744/ Pari—**In exercise of the power conferred by Motor Vehicle Act, 1988 read with section-211(a) of Motor Vehicle (Amendment) Act 2019, sub rule 58(a) is being added after rule-58 of Bihar Motor Vehicle Rule, 1992.

**58(a)** ***To submit documents, required for Registration, electronically (digitally)—***

**(i)** After the Sell of the Vehicles all the documents related to registration shall have to be uploaded by the dealer on Vahan 4.0 software after signing it through 'digital sign certificate (DSC)'.

**(ii)** For the excution of the work reffered in Sl. No. (i) 'Digital sign certificate (DSC)' shall have to be made available to the registering authority in the prescribed format, after its verification the vehicle dealer shall be granted the permission for digital signature by the Registering Authority.

**(iii)** It will not be compulsory to submit uploaded original documents to the registering authority, but hard and soft copy of the same shall be kept by the dealer in their custody and shall be produced before the registering authority compulsarily when so ever asked to do so.

**(iv)** Approval/Rejection of the registration shall be made by the registering authority after receiving the digitally signed documents and the confirmation of the payment of road tax/fees etc.

**(v)** If any dealer closes his business permanently in any circumstances, he shall have to submit all original documents, related to registration, to the concerned District Transport Office compulsarily.

**2.** This notification shall come into effect after one month of the date of its publication in the Bihar Gazzete.

**By the order of Governer, Bihar**
**SANJAY KUMAR AGARWAL,**
*Secretary of Government.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 146-571+10-डी0टी0पी0।
**Website: http://egazette.bih.nic.in**